चित्रकूट-पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 24.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 17 अभियुक्तों के विरूद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा अभियुक्त कुंजी उर्फ कुंजबिहारी पुत्र केशव प्रसाद 2. छोटेलाल पुत्र मोतीलाल 3. गोपाल बिलौंहा पुत्र जनार्दन निवासीगण देवकली 4. शिवकुमार पुत्र रामसजीवन वसिंघा 5. अलि कुमार पुत्र दयाशंकर निवासी देवरा 6.प्रेमपासी पुत्र लखपत पासी निवासी गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र बृजभूषण 2. पुष्पराज पुत्र रामसिंह निवासीगण असोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(iii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1.गोपाल सोनकर 2. झल्लर उर्फ दीपक सोनकर पुत्र शिव सोनकर निवासीगण बाल्मीकी नगर पश्चिम 3. विजय बहादुर पुत्र भाउराम 4. बड्डन उर्फ बड़ा भइया उर्फ बुद्धविलास पुत्र शत्रुजीत उर्फ

कल्लू निवासीगण रामपुर 5. बबुआ पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बड़ारतीर मजरा सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(iv). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्या द्वारा अभियुक्त 1. फूलचन्द्र पुत्र निहटू निवासी मुरका 2. राजा उर्फ कुलदीप पुत्र अनिल कुमार द्विवेदी निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(v). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1. गोविन्द पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी पूरब पताई 2. संजय उर्फ कल्लू पुत्र फूलचन्द्र निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 90 क्यू 9837 पर सवार अभियुक्त प्रियांशु पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजू तथा प्रियांशु उर्फ बऊआ पुत्र शिववरन सिंह निवासीगण निवासी खप्टिहा कलां थाना पैलानी जनपद बांदा को मोटरसाइकिल 02 किलो 472 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगीः-

1.02 किलो 472 ग्राम अवैध गांजा

2. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 90 क्यू 9837

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी

2.आरक्षी नवीन

3.आरक्षी हरीशरण

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली त्यैहार के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 अभियुक्तों के कब्जे से 214 क्वार्टर देशी व 13 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(i). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवपूजन पुत्र चुन्नूलाल निवासी मछरिहा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 35 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र गौरी निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 13 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तारि किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामविलाश पुत्र राजकिशोर निवासी भरथौल थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बच्छराज निषाद पुत्र कोठरिया निषाद निवासी खोंपा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र कुबेर सोनकर निवासी गइला रोड़ कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री इंदल सिंह थाना मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू कोल निवासी कोल कालोनी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(vii). चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त ज्ञानू पुत्र भोंडा निवासी बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 36 क्वार्टर देशी शराब के साथ तथा अभियुक्त रामनारायण पुत्र मोतीलाल निवासी खन्देवरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 37 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र मुन्नूलाल जायसवाल निवासी पश्चिमनाका सरैंया तलैया कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम थाना मऊ द्वारा वारंटी मु0अ0सं0 73/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त हरिमोहन केवट पुत्र चंद्रपाल निवासी टिकरा टोला मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र कुमार, आरक्षी श्यामू द्वारा मु0नं0 2953/2014 धारा 41,411,414 भादवि के वारण्टी अभियुक्त लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सिगदार निवासी पड़री थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी सतीष यादव द्वारा मु0सं0 45/99 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त भोला पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम फाटा पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). आज दिनाँक 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण,भयमुक्त एवं स्वतंत्र सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस एवं सीपीएमएफ के जवानों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रैपुरा, ग्राम बांधी, देंवधा, रामनगर, लुधौरा-बरेठी, लौरी, खोर, संवेदनशील बूंथ कौबरा, बल्नरेबुल बूथ बेलरी एवं हनुमानगंज में एरिया डोमिनेशन कर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक एवं स्वतंत्र होकर मतदान करें।

(8). आज दिनाँक 24.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू निरीक्षक श्री सूर्यकान्त अरुण राय के मार्गदर्शन में डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा होली पर्व सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट, मॉल बाजार रेलवे स्टेशन परिसर कर्वी में सघन चेकिंग की गई।